न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
68 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	21.09.2020	08.04.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

प्रार्थी

बनाम

1–श्री शहजाद अली पुत्र स्व0 श्री अब्दुल गन्नी खॉं एफ.बी.ओ. मैसर्स अमन किराणा स्टोर अम्बापुरा कालोनी दोलता मोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी अम्बापुरा कालोनी दोलता मोड जिला टोंक राज0

2– मैसर्स अमन किराणा स्टोर अम्बापुरा कालोनी दोलता मोड देवली जिला टोंक राज0

अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 08.04.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.07.2020 को समय 12.11 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अमन किराणा स्टोर अम्बापुरा कालोनी दोलता मोड देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचा।- विक्रेता की हैसियत से श्री शहजाद अली पुत्र स्व0 श्री अब्दुल गन्नी खॉं एफ.बी.ओ. मैसर्स अमन किराणा स्टोर अम्बापुरा कालोनी दोलता मोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी अम्बापुरा कालोनी दोलता मोड जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे मूंगफली तेल खुला (Ground Nut Oil Loose) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रता श्री शहजाद अली को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए मे वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता शहजाद अली एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान [illegible] 1/2 किलोग्राम मूंगफली तेल खुला (Ground Nut Oil Loose) [illegible] को वास्ते नमूना जांच खरीदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.07.14 16:24:46 IST
Reason: SelfAttested

1189

अ[illegible]ला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रता, श्री शहजाद अली को रू0 208/–अठार दो सौ आठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मूंगफली तेल खुला (Ground Nut Oil Loose) 1600 ग्राम को सीधे ही इलेक्ट्रोनिक मशीन से चार साफ व सूखी प्लास्टिक बोतलों में 400–400 ग्राम तुलवाकर नियमानुसार भरकर प्रत्येक शिशी के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2498 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वय के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2498 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, शहजाद अली के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खा. सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/2807 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1079/एक्ट/2020/1149 दिनांक 14.08.2020 अनुसार शहजाद अली से बारते नमूना जांच विक्रय किया गया मूंगफली तेल खुला (Ground Nut Oil Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) तथा विनियम नं.2.3.15(1)(b) के अनुसार कान्ट्रावेन (Contravene) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) व कान्ट्रावेन (Contravene) स्तर का मूंगफली तेल खुला (Ground Nut Oil Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.07.14 16:24:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1190

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मूंगफली तेल खुला (Ground Nut Oil Loose)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कान्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मूंगफली तेल खुला (Ground Nut Oil Loose)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कान्ट्रावेन (Contravene)**स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)(v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री शहजाद अली पुत्र स्व0 श्री अब्दुल गन्नी खॉ एफ.बी.ओ. मैसर्स अमन किराणा स्टोर अम्बापुरा कालोनी दोलता मोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी अम्बापुरा कालोनी दोलता मोड जिला टोंक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.04.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.07.14 16:24:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner